खेल दिवस | शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विकसित करना प्राथमिकता

खालसा महाविद्यालय में मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस

नवभारत, जबलपुर। मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में श्री गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय, जबलपुर में 31 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 उत्साह के साथ मनाया गया। प्राचार्य डॉ. आरएस चंडोक के मार्गदर्शन में क्रीड़ा विभाग द्वारा 'खेलो इंडिया' अभियान के तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन, टीम भावना और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विकसित करना रहा। इस अवसर पर पूरा परिसर खेल के रंगों में सराबोर नजर आया और बड़ी संख्या में उपस्थित छात्र-छात्राओं ने विभिन्न विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर अपनी खेल दक्षता को साबित किया।

शतरंज और टेबल टेनिस के परिणाम

इस दौरान आयोजित शतरंज छात्रा वर्ग में एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की साक्षी तिवारी प्रथम और आयुषी तिवारी द्वितीय रहीं, जबकि छात्र वर्ग में बीकॉम द्वितीय वर्ष के कृष्णा प्रथम, बीबीए प्रथम वर्ष के अबीर द्वितीय तथा बीबीए द्वितीय वर्ष के स्वयं यादव तीसरे स्थान पर रहे। टेबल टेनिस के छात्रा वर्ग में भारती और छात्र वर्ग में सत्येंद्र लोधी विजेता रहे, वहीं रस्सीकूद में भी विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिताओं के समापन पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

विद्यार्थियों के विकास में खेल का महत्व

प्राचार्य डॉ. आरएस चंडोक ने मेजर ध्यानचंद के जीवन को युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताते हुए कहा कि नियमित खेलों से विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का सर्वांगीण विकास होता है। कार्यक्रम क्रीड़ा प्रभारी डॉ. शिवमणि मिश्रा एवं क्रीड़ा अधिकारी राजेन्द्र प्यासी के समन्वय में हुआ, जिसमें डॉ. रोहित वर्मा, डॉ. सौरभ गुप्ता, रुचि सिंह, अमरदीप कौर, डॉ. नमिता सोनी, तुहिना मजूमदार, प्रशांत राय एवं डॉ. रेनू खरे के सहयोग से इस पूरे आयोजन को गरिमा के साथ संपन्न किया गया।

सुरों की महफिल में गूंजे सदाबहार नगमे, मधुर प्रस्तुति ने मोहा मन

नवभारत, जबलपुर। मेलोडी जोन म्यूजिकल ग्रुप द्वारा दत्त मंदिर में सुरों से सजी संगीतमय संध्या का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नए और पुराने फिल्मी गीतों की शानदार प्रस्तुतियों ने संगीत प्रेमियों को देर तक बांधे रखा। कलाकारों ने अपनी-अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को सुरमयी बना दिया। कार्यक्रम के दौरान फिल्मी गीतों की श्रृंखला के बीच मेलोडी जोन म्यूजिकल ग्रुप की संरक्षिका पुष्पलता ब्यौहार ने लोकगीत की मधुर प्रस्तुति दी। लोकगीत की प्रस्तुति ने दर्शकों को विशेष रूप से आकर्षित किया और श्रोता मंत्रमुग्ध नजर आए। उनकी प्रस्तुति पर दर्शकों ने तालियों के साथ उत्साहवर्धन किया। एक के बाद एक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों को संगीत के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रभात वर्मा ने किया। उन्होंने अपनी प्रभावी एंकरिंग से कार्यक्रम को सहज और आकर्षक बनाए रखा।

राहुल गांधी के खिलाफ हुई एफआईआर निरस्त करने की मांग

नवभारत, जबलपुर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष टीकाराम कोष्टा ने अखिल भारतीय... और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता टीकाराम कोष्टा ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उत्तराखंड के हल्द्वानी में सभा किए जाने के बाद कार्यक्रम स्थल का शुद्धिकरण किए जाने की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इस कृत्य को अमानवीय और छुआछूत को बढ़ावा देने वाला बताते हुए कहा कि ऐसी मानसिकता के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय दलितों के बराबरी के हक, समानता और सम्मान की आवाज बुलंद करने वाले लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा द्वारा एफआईआर दर्ज कराना बेहद निंदनीय है।

टीकाराम कोष्टा ने कहा कि भाजपा का यह कदम देश में छुआछूत तथा ऊंच-नीच को बढ़ावा देने वाला और संविधान में प्रदत्त समानता व सम्मान के अधिकार के विरुद्ध है, जो उनके दोहरे चरित्र को पूरी तरह उजागर करता है। कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ होने वाले इस भेदभाव, असमानता के व्यवहार और छुआछूत का निरंतर विरोध करती रहेगी क्योंकि इंसानियत के खिलाफ इस तरह का कोई भी भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन के सुर को और तेज करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष टीकाराम कोष्टा, प्रदेश कोऑर्डिनेटर अलीम मंसूरी, जितेंद्र यादव, विजय अग्रवाल, रामदास यादव, मामूर गुड्डू, डॉ. मोइन अंसारी, जावेद राइन, अशोक चौधरी, संजू ठाकुर, धर्मेंद्र कुशवाहा, राजू तोमर, पी पी पटेल और अनिल गुप्ता सहित अन्य नेताओं ने पुरजोर मांग की है कि जिनके निर्देश पर मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के उपरांत कार्यक्रम स्थल का शुद्धिकरण किया गया, उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को शीघ्र खारिज किया जाए, अन्यथा मांग पूरी न होने की स्थिति में पूरी कांग्रेस पार्टी बड़ा जन-आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होगी।

फेसलेस पंजीयन को बढ़ावा देने विभागों एवं सेवा प्रदाताओं की बैठक

नवभारत, जबलपुर। शासकीय दस्तावेजों के पंजीयन की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय में फेसलेस पंजीयन के संबंध में संबंधित विभागों एवं सेवा प्रदाताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों एवं सेवा प्रदाताओं को फेसलेस पंजीयन प्रक्रिया के प्रमुख बिंदुओं और इससे जुड़े तथ्यों की विस्तार से जानकारी दी गई। सेवा प्रदाताओं के प्रश्नों का समाधान भी किया गया।

अधिकारियों ने सभी संबंधितों से अधिक से अधिक दस्तावेजों का फेसलेस पद्धति से पंजीयन सुनिश्चित कराने का आग्रह किया। इस दौरान उप महानिरीक्षक पंजीयन जबलपुर परिक्षेत्र प्रभाकर चतुर्वेदी ने फेसलेस पद्धति से पंजीयन कराने के लाभों की जानकारी देते हुए आगामी दिनों में इस प्रक्रिया के माध्यम से अधिक से अधिक दस्तावेजों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए। बैठक में वरिष्ठ जिला पंजीयक डॉ. पवन कुमार अहिरवार ने विभागीय अधिकारियों एवं सेवा प्रदाताओं से फेसलेस पंजीयन प्रक्रिया को प्रभावी रूप से लागू करने में सहयोग की अपेक्षा की। बैठक में उप महानिरीक्षक पंजीयन जबलपुर परिक्षेत्र प्रभाकर चतुर्वेदी, संयुक्त कलेक्टर ऋषभ जैन तथा जबलपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी तथा सेवा प्रदाता उपस्थित रहे।

बदमाशों ने मचाया उपद्रव, दुकान, स्कूटी में तोड़फोड़

▸ रंगदारी नहीं देने पर पिता पुत्र समेत चार को पीटा

नवभारत.जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत मढ़ई मेन रोड में रंगदारी न देने पर बदमाशों ने जमकर उपद्रव मचाया। स्वीट्स की दुकान, स्कूटी में तोड़फोड़ कर दी। पिता पुत्र समेत चार लोगों की पिटाई कर दी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक हेमंत गुप्ता 24 वर्ष निवासी बिलपुरा कालोनी मड़ई ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता महेश गुप्ता की मढ़ई मेन रोड में स्वीट्स की दुकान है। रात लगभग 8-15 बजे पिता के साथ दुकान में प्रतिदिन की तरह दुकान में था तभी छोटू कबाड़ी, बिज्जू चौधरी, जैन्गो एवं अनुज कोल आकर शराब पीने के लिये 2 हजार रूपये मांगने लगे, रूपये देने से मना किया तो चारों हाथ मुक्कों से मारपीट कर उसे चोट पहुंचा दी। पिता बीच बचाव करने लगे तो पिता के साथ भी चारों मारपीट किए। राकेश सेन, दिलीप दुबे व राजकुमार शुक्ला बीच बचाव करने लगे तो इनके साथ भी मारपीट किये। चारों दुकान में तोड़फोड़ करने लगे काउण्टर पर रखा उसका आईफोन पटक कर तोड़ दिया व रोड में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में तोड़फोड़ कर दुकान का काउण्टर पलटा दिया जिससे लगभग 1 लाख 25 हजार रूपये का नुकसान हुआ है।

मुनाफे का लालच देकर 7 .53 लाख ठगे

नवभारत, जबलपुर। घमापुर निवासी एक छात्र को साइबर ठग ने मुनाफे का लालच देकर जाल में फंसाया और 7.53 लाख ठग लिए। पुलिस ने रिपोर्ट पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस के मुताबिक सोमवार को अभिमन्यू त्रिपाठी 26 वर्ष निवासी घमापुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसे टेलीग्राम एप पर मृदुल गुप्ता नाम के यूजर द्वारा फ्लर्टिफाई साईट में आई डी बनाकर टास्क पूरा करने के संबंध में मैसेज किया तो उसने आईडी बनाई, उक्त व्यक्ति ने उसे टास्क देते हुये कहा कि 2 हजार रूपये जमा करने पर 2300 रूपये मिलेंगे, उसने टास्क पूरा किया तो उसे 2300 रूपये वापस किये और साईट की मेंबरशिप लेने के लिए 9 हजार 999 रूपये जमा करने पर 12 हजार रूपये वापस देने के लिये कहा गया, उसने 9 हजार 999 रूपये जमा किये तो उन्होंने कहा कि आपका टास्क गलत हो गया इसलिये आपके पैसे फ्रीज हो गये हैं पैसे वापस मांगने पर 42 हजार 960 रूपये जमा करने पर पूरे 75 हजार रूपये वापस करने के लिये कहा गया, उसने 42 हजार 960 रूपये जमा किये तो उन्हौंने पुनः कहा कि टास्क गलत कर दिया है इसलिये पैसे फ्रीज हो गये। पैसे वापस करने के लिये रूपये जमा करने के लिये कहा गया, उसके पास पैसे नहीं होने से उसने दोस्तों, परिवार वालों से रूपये उधार लेकर यूपीआई व आरटीजीएस के माध्यम से कुल 7 लाख 53 हजार 671 रूपये जमा किये गये थे। टेलीग्राम एप पर मृदुल गुप्ता नाम के यूजर द्वारा साईट पर उसके साथ धोखाधड़ी करते हुये उससे 7 लाख 53 हजार 671 रूपये ट्रांसफर करा लिये।

महिला के खाते से उड़े 28 हजार

बरेला थाना अंतर्गत देवरी पटपरा निवासी आरती साहू 33 वर्ष को ठग ने आनलाईन डर और चोट पहुँचाने की धमकी देकर धोखा देते हुये 6 बार में कुल 28 हजार 599 रूपये उसके अकाउण्ट से निकाल लिये हैं।

सीलिंग की साढ़े तीन हजार वर्गफुट भूमि से कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू

नवभारत, जबलपुर। छपुरा स्थित लगभग साढ़े तीन हजार वर्गफुट शासकीय सीलिंग की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अधारताल तहसील के राजस्व अमले ने शुरू कर दी है। सीलिंग की भूमि पर हुए अतिक्रमण का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा जेसीबी मशीनों की सहायता से हटा दिया गया है, शेष अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही मंगलवार को भी जारी रहेगी। तहसीलदार अधारताल से मिली जानकारी के अनुसार इस भूमि पर आजाद चौक निवासी मनीष गुप्ता द्वारा अतिक्रमण कर भवन (गणेश मंडपम) का निर्माण किया गया था। उन्हें पूर्व में न्यायालय तहसीलदार अधारताल द्वारा नोटिस जारी कर इस भूमि से स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गये थे। निर्देश की अवहेलना करने पर अधारताल तहसील के राजस्व अमले द्वारा अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

झपट्टा मारकर युवती का लूटा मोबाइल

नवभारत, जबलपुर। गढ़ा थाना अंतर्गत ज्योतिनगर छोटी बजरिया में बीती रात घर के बाहर टहल रही युवती पर झपट्टा मारकर लुटेरे ने मोबाइल लूट लिया और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक सुश्री शिवानी वर्मा 29 वर्ष निवासी ज्योतिनगर छोटी बजरिया गढ़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान विभाग में कार्यरत है बीती रात लगभग 9-30 बजे अपने घर के सामने टहल रही थी तभी दुर्गा मंदिर की तरफसे स्कूटी में 3 लड़के आये, पीछे बैठे युवक ने झपट्टा मारते हुये उसके हाथ से मोबाइल कीमती लगभग 10 हजार रूपये का छीनकर तेजी से स्कूटी से भाग गये।

हत्याकांड में माया बाई को भी बनाया जाए आरोपी

नवभारत, जबलपुर। पनागर थाना अंतर्गत इमलिया में हुई प्यारेलाल चौधरी 65 वर्ष की हत्या में माया बाई को भी हत्या का आरोपी बनाया जाए। यह मांग सोमवार को पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर की। विदित हो कि प्यारेलाल चौधरी 65 वर्ष निवासी इमलिया पनागर की रिश्ते के नाती अभिषेक चौधरी के द्वारा मारपीट की थी। जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अभिषेक के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले को लेकर मृतका का पुत्र रोहित चौधरी सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और आरोप लगाया कि अभिषेक चौधरी की मां माया बाई ने भी उसके साथ मारपीट की थी। मायाबाई के भाई सन्जू चौधरी निवासी महाराजपुर ने भी रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

तेज रफ्तार पिकअप ने रौंदा, पत्नी की मौत, पति घायल

नवभारत, जबलपुर। खमरिया थाना अंतर्गत उमरिया खमरिया मेन रोड पर दक्ष होटल के सामने एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार लोडिंग पिकअप ने पैदल चल रहे पति-पत्नी को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 22 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद आरोपी चालक अपनी गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, उमरिया खमरिया निवासी नितेश अली उर्फ सोनू ने थाने पहुंचकर सूचना दी कि उसका ममेरा भाई अनूप उर्फ अंकित धान (27) और भाई की पत्नी निर्जला चौधरी उर्फ महिमा (22) (दोनों निवासी दक्ष होटल के पीछे, उमरिया पैन्टीकोस्टल चर्च खमरिया से प्रार्थना कर साइकिल से घर लौट रहे थे। जैसे ही दंपत्ति उमरिया खमरिया मेन रोड पर दक्ष होटल के सामने पहुंचे, वे साइकिल से उतरकर पैदल चलने लगे। इसी दौरान रात्रि साढ़े दस बजे कुण्डम की तरफ से आ रहे लोडिंग वाहन पिकअप क्रमांक एमपी 20 जीबी 5257 के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए दोनों को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दंपत्ति सड़क पर दूर जा गिरे और उनकी साइकिल के परखच्चे उड़ गए। हादसे में निर्जला चौधरी अत्यधिक खून बहने के कारण मौके पर ही बेहोश हो गई। वहीं, अंकित को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों घायलों को तत्काल शासकीय सिविल अस्पताल, रांझी पहुंचाया गया यहाँ ड्यूटी डॉक्टर ने जांच के बाद निर्जला चौधरी उर्फ महिमा को मृत घोषित कर दिया। घायल अंकित धान का इलाज अस्पताल में जारी है। दुर्घटना के बाद आरोपी चालक अपनी पिकअप गाड़ी को दक्ष होटल के सामने ही छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और फरार चालक के खिलाफ तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी चालक की सरगर्मी से तलाश कर रही है।

In The Court of I Additional Principal Judge Family Court, District Court, Jabalpur
Presiding Officer : संजय कुमार जैन
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCS A No.94/2026)

रेखा ओझा व अन्य
Vs
आम जनता

Process Id- No.18/2026
पेशी दिनांक :- 15/10/2026

प्रेषिती-
सर्वसाधारण (आम जनता)
यह की आवेदिका रेखा ओझा ने आपको सर्वसाधारण (आम जनता) के विरूद्ध धारा 7 हिन्दु दत्तक अधिनियम, 1956 बावत याचिका संस्थित की है, जिसमें नियत पेशी दिनांक 15/10/2026 है। इस दिनांक को आप सामंजस्य कार्यवाही / उत्तर देने हेतु न्यायालय में 11:00 बजे उपस्थित हों।
यदि उक्त दिनांक को आप या आपके अधिवक्ता उपस्थित नहीं होते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय सुनवाई कर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। याचिका एवं संलग्न दस्तावेजों की नकलें सामंजस्य कार्यवाही के बाद दी जायेंगी।
यह आज तारीख 8 August 2026 को मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया हैं।

सील

न्यायाधीश
(संजय कुमार जैन)
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायलय
कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर (म.प्र)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रांझी जिला जबलपुर
पत्र क्रमांक/011/री/अ.वि.अ./रांझी 2026 — जबलपुर दिनांक - 25/8/2026

// आम ईश्तहार //

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदक श्री/श्रीमति बेड़ी लाल, वीरेन्द्र, धमेन्द्र तीनो के पिता स्व. चरणलाल (चमनलाल भूमिया) निवासी समीर किराना स्टोर के पास बिलपुरा पुरानी बस्ती भूमि मोहल्ला थाना रांझी जिला जबलपुर, एवं डेना बाई उर्फ तारा बाई आदिवासी पिता स्व. चरणलाल (चमनलाल भूमिया) पति केशु निवासी वार्ड नं. 9 पडुआ पिपरौध, मुडवारा कटनी के आवेदन पत्र में मौजा बिलपुरा प.ह.नं. बिलपुरा स्थित खसरा नं. 606 रकवा 0.17 हेक्ट भूमि आवेदक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर यह आवेदन अनावेदक/ उत्तरवादी पंकज सिंह ठाकुर पिता श्री प्रताप सिंह ठाकुर निवासी भानतलैया करिया पाथर जबलपुर, दीपक कुमार चौधरी पिता स्व. मुरारीलाल चौधरी निवासी क्वार्टर नं. 13/3 टाईप-1 खमरिया इस्टेट, जबलपुर, रविकेश राजपूत ठाकुर पिता श्री चन्द्रभान राजपूत ठाकुर निवासी क्वार्टर नं. 391/10, न्यू परेल लाईन जी.सी.एफ इटेट जबलपुर, कोमल सिंह मेहरा पिता श्री मिरचू मेहरा निवासी सुभाष नगर, रांझी जबलपुर, एम किस्टोफर पिता श्री व्ही जोसफ निवासी बापू नगर रांझी जबलपुर, रामसिंह पिता ज्ञानसिंह राजपूत ठाकुर निवासी 34/1 टाईप-1 खमरिया जबलपुर, सुरेश कुमार पिल्ले पिता श्री पापा पिल्ले निवासी 236/10, टैगोर कॉलोनी पश्चिम मध्य रेलवे, सतपुड़ा क्लब के पीछे जबलपुर, राजकुमार नायडू पिता श्री मदरे पापा निवासी 238/10, टैगोर कॉलोनी पश्चिम मध्य रेलवे, सतपुड़ा क्लब के पीछे जबलपुर, रमाकांत श्रीवास्तव पिता स्व. मुकुंदीलाल श्रीवास्तव निवासी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रेस के पीछे खेरमाई के सामने जबलपुर, महावीर प्रसाद रैकवार पिता स्व. श्यामलाल रैकवार निवासी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रेस के पीछे खेरमाई के सामने जबलपुर, श्रीमति राजउआ बाई पटेल पत्नि स्व. लक्ष्मण प्रसाद पटेल निवासी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रेस के पीछे खेरमाई के सामने जबलपुर, सुशील कुमार पटेल पिता स्व. लक्ष्मण प्रसाद पटेल निवासी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रेस के पीछे खेरमाई के सामने जबलपुर, अशोक कुमार ठाकुर पिता कल्लू ठाकुर निवासी न्यू रामनगर, अमखेरा अधारताल जबलपुर, मानसिंह ठाकुर पिता श्री लक्ष्मण सिंह ठाकुर निवासी 1802 आर.टी.ओ. ऑफिस, गोविंद भवन सिविल लाईन जबलपुर, कुंजीलाल गोड़ पिता स्व. लख्खूराम गोड निवासी ग्राम तिघरा पोस्ट सोनपुर जिला जबलपुर, रामकिशन यादव पिता स्व. रामविशाल यादव निवासी बगीचा धोबीघाट भोंगाद्वार गोराबाजार जबलपुर, राजेन्द्र मालवीय पिता स्व. राम मालवीय निवासी प्रेमनगर, पोस्ट ऑफिस के पास महेशपुरी स्कूल मदन महल जबलपुर, श्रीमति उषा पति उत्तम दुबे निवासी रांझी जबलपुर के विरूद्ध आवेदन पत्र वास्ते धारा 170 (क) (ख) म.प्र.भू राजस्व सहिता 1959 के तहत् इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। आवेदन पत्र म.प्र.भू.रा.सहिता. 1959 की धारा 170 (क) (ख) के तहत् आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि मौजा बिलपुरा स्थित खसरा नं. 606 रकवा 0.17 हेक्ट पर अनावेदकगण क. 1 से 17 तक के नाम निष्पादित किये गये बैनामा / कतिपय आंतरणो को अपास्त करते हुये आदिम जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि जो कपट द्वारा आंतरित की गई थी उसका प्रतिवर्तन आवेदकगणो के नाम करने की कृपा करें। अतः उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति / संस्था को आपत्ति हो तो न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रांझी तहसील रांझी जिला जबलपुर के कक्ष क्रमांक 6 में दिनांक 09/09/2026 को अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। न्यायालय की मुहर एवं हस्ताक्षर से आज दिनाँक 25/8/2026 को जारी।

पेशी दिनांक - 09/09/2026 — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रांझी, जबलपुर (म.प्र.)

ऋण वसूली अधिकरण

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवायें विभाग, (बैंकिंग प्रभाग)
द्वितीय एवं तृतीय तल, संचार विकास भवन (बीएसएनएल बिल्डिंग), रेजीडेंसी रोड, हेड पोस्ट ऑफिस के पास, साउथ सिविल लाइंस, जबलपुर (म.प्र.) 482001

ई-नीलामी सूचना — **ई-नीलामी क्रमांक- 185/2026**

प्रकरण संख्या: RC 96/2024/ओ.ए. संख्या: 193/2022

UNION BANK OF INDIA वि **SHRI SARFRAJ AHMED.** एवं अन्य में पारित वसूली प्रमाणपत्र क्रमांक **RC No. RC 96/2024/O.A. No.193/2022** में जारी राशि की वसूली हेतु प्रमाण पत्र **Rs.24,94,226.83 (Rupees Twenty Four Lakh Ninety Four Thousand Two Hundred Twenty Six and Eighty Three Paise only)** तथा उस पर 10.45 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दिनांक 27.01.2022 से ब्याज एवं वसूली हेतु निम्नलिखित संपत्ति ऑनलाईन ई-नीलामी प्रक्रिया के तहत वेबसाईट https://baanknet.com के माध्यम से की जायेगी।

ई– नीलामी की तिथि एवं समयः 28-10-2026 दोपहरः 12.00 से 01.00 बजे तक

संपत्ति की अनुसूची

क्र.सं.	विक्रय हेतु प्रस्तावित संपत्ति का विवरण	आरक्षित/न्यूनतम मूल्य	ई.एम.डी. राशि
1.	Property located at Mouza Gohalpur, P.H. No. 24/2, Part of Khasra No. 287/1 (after mutation Khasra No. 287/1/4 as per valuation report), Bandobast No. 601, RI Circle Jabalpur M.P. (Ground Floor Built-up area 750 sq.ft. and first floor built-up area 750 sq.ft.) total area 1087.50 sq.ft.; belonging to Shri Sarfraj Ahmed S/o Shri Baseer Ahmed.	Rs.25,83,000.00 (Rupees Twenty Five Lakh Eighty Three Thousand only)	Rs.2,58,300.00 (Rupees Two Lakh Fifty Eight Thousand Three Hundred only)

विक्रय की शर्तें एवं नियम

1. विक्रय की सभी शर्तें ऋणों की वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के प्रावधानों तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूचियों, आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 के साथ पठित प्रावधानों द्वारा शासित होगी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों से भी निर्देशित होंगी।
2. इच्छुक बोलीदाता निम्न सेवा प्रदाता से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
   नीलानी एजेंसी - Bank Asset Auction Network (BAANKNET)
   हेल्पलाइन नं - +91-82912 20220
   हेल्पलाइन ईमेल - support.baanknet@psballiance.com
   बैंक अधिकारी - Shri Arun Chouhan, Senior Manager, Mob. No. 79875 86079
   संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय - 13-10-2026 दोपहर 12:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक।
3. इच्छुक बोलीदाता बोली प्रपत्र, विस्तृत विवरण एवं विक्रय की शर्तों हेतु वेबसाइट https://baanknet.com का अवलोकन करें।
4. बोलियाँ (bids) केवल ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएँगी। प्रत्येक बोली के साथ पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण, पहचान पत्र, ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा। कंपनी के मामले में, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित बोर्ड प्रस्ताव (Board Resolution) की प्रमाणित प्रति अथवा कंपनी की ओर से प्रतिनिधित्व / अधिकार-पत्र (Power of Attorney/ Authorization) को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य वैध दस्तावेज बोली प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा। बोलीदाता संपत्ति के विवरण, क्षेत्रफल/माप, प्रभारों (Encumbrances), दायित्वों तथा अन्य संबंधित तथ्यों की शुद्धता एवं सत्यता के संबंध में स्वयं अपने स्तर पर संबंधित सरकारी कार्यालयों अथवा अन्य सक्षम स्रोतों से जांच-पड़ताल कर पूर्णतः संतुष्ट हो लें। इस संबंध में भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी त्रुटि. विसंगति, कमी अथवा विवाद के लिए ऋण वसूली अधिकरण (DRT) उत्तरदायी नहीं होगा।
5. आरक्षित मूल्य का 10% अर्थात् रु. **Rs.2,58,300.00 (Rupees Two Lakh Fifty Eight Thousand Three Hundred only)** ईएमडी के रूप में BAANKNET वॉलेट में जमा करना होगा तथा उसका विवरण बोली प्रपत्र में अंकित करना होगा।
6. ऑनलाइन बोली दिनांक **26-10-2026** को सायं 5:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेगी।
7. ऑनलाइन प्रस्तुत बोली प्रपत्र एवं संलग्नकों की प्रति वसूली अधिकारी, डीआरटी, जबलपुर, द्वितीय एवं तृतीय तल, संचार विकास भवन (बीएसएनएल भवन), रेजीडेंसी रोड, मुख्य डाकघर के निकट, दक्षिण सिविल लाइन्स, जबलपुर को यथाशीघ्र प्रेषित की जाएगी।
8. ऑनलाइन बोली प्रक्रिया प्राप्त उच्चतम बोली से प्रारंभ होगी तथा प्रत्येक अगली बोली में न्यूनतम वृद्धि रु. **Rs. 30,000.00 (Rupees Thirty Thousand only)** होगी। नीलामी समाप्ति से पूर्व कोई बोली प्राप्त होने पर प्रणाली द्वारा नीलामी समय स्वतः 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा।
9. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी उसी खाते में वापस की जाएगी जिससे भुगतान किया गया था। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईएमडी जमा करने के पश्चात बोलीदाता उसे वापस नहीं ले सकेगा अन्यथा राशि जब्त कर ली जाएगी।
10. स्थावर संपत्ति के मामले में सफल उच्चतम बोलीदाता को घोषणा के अगले दिन, अपनी बोली स्वीकृत होने पर, बोली राशि का 25% (ईएमडी घटाकर) **CENTRAL BANK OF INDIA, DHOBIGHAT BRANCH, JABALPUR** में वसूली अधिकारी, ई-नीलामी खाता, डीआरटी जबलपुर, खाता संख्या **5692799461** आईएफएससी कोड **CBIN0281618** में RTGS/NEFT द्वारा जमा करना होगा। चूक होने पर संपत्ति पुनः विक्रय हेतु प्रस्तुत की जाएगी तथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
11. सफल बोलीदाता को शेष 75% राशि तथा विक्रय राशि का 1% पाउंडेज शुल्क एवं प्रत्येक संपत्ति पर अतिरिक्त रु.10/- नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर, क्रम संख्या 10 में उल्लिखित खाता संख्या **5692799461** में आरटीजीएस (RTGS) / एनईएफटी (NEFT) / मनी ट्रांसफर के माध्यम से जमा करना होगा। यदि पंद्रहवों दिन रविवार अथवा अन्य अवकाश का दिन हो, तो भुगतान उसके पश्चात् आने वाले प्रथम कार्य दिवस पर किया जा सकेगा। निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान न किए जाने की स्थिति में, संपत्ति के विक्रय हेतु नवीन विक्रय उद्घोषणा (Fresh Proclamation of Sale) जारी कर पुनः नीलामी की जाएगी। ऐसी स्थिति में जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त (Forfeited) कर ली जाएगी तथा चूक करने वाला क्रेता (Defaulting Purchaser) उक्त संपत्ति अथवा उसके पुनर्विक्रय से प्राप्त किसी भी राशि पर अपना समस्त दावा एवं अधिकार खो देगा।
12 संपत्ति का विक्रय 'जैसी है जहाँ है तथा बिना किसी शिकायत के आधार पर **(As is Where is and No Complaint Basis)** किया जाएगा।
13. संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा।
14. वसूली अधिकारी को बिना कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा विक्रय स्थगित / निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
15. इच्छुक बोलीदाता बैंक के पास उपलब्ध स्वामित्व अभिलेखों का अवलोकन करें तथा संपत्ति की पहचान, विवरण एवं भार आदि की स्वयं जांच करें। इसकी शुद्धता के लिए डीआरटी उत्तरदायी नहीं होगा।
16. बोलीदाता अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इंटरनेट, नेटवर्क, सिस्टम क्रैश या विद्युत व्यवधान के लिए डीआरटी / बैंक / सेवा प्रदाता उत्तरदायी नहीं होंगे।
17. उच्चतम बोली "अनुमोदन के अधीन अस्थायी रुप से स्वीकार की जाएगी। विक्रय की पुष्टि होने तक बोलीदाता को संपत्ति पर कोई अधिकार या स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा।
18. विक्रय पर लागू स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क एवं अन्य वैधानिक शुल्क सफल क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।
19. विक्रय प्रमाणपत्र केवल उन्हीं व्यक्ति/यक्तियों के नाम जारी किया जाएगा जिनके नाम बोली प्रपत्र में उल्लिखित हैं।
20. विक्रय प्रमाणपत्र में बोली प्रपत्र में उल्लिखित नामों के अतिरिक्त किसी अन्य नाम को जोड़ने या प्रतिस्थापित करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
21. बोलीदाता अपने यूज़र आईडी, पासवर्ड एवं अन्य गोपनीय जानकारी किसी को भी प्रकट न करें।
22. बोलीदाताओं को समय विलंब, अधिक ट्रैफिक, सिस्टम / विद्युत विफलता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करने की सलाह दी जाती है।
23. ई-नीलामी सेवा प्रदाता, बैंक के अधिकारी, उनके प्रतिनिधि, कर्मचारी एवं एजेंट ई नीतसमी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के विवरणों की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेंगे।

स्थान– जबलपुर
दिनांक– 20/08/2026

नीलेश अवधिया वसूली अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर